दिनांक : 20 अप्रैल, 2014

चुनाव प्रचार डायरी–20/04/2014

–अरुण जेटली
(राज्य सभा में विपक्ष के नेता)

लोकपाल की नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपीए सरकार ने लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए। प्रथम दृष्टया ये नियम अधिनियम के विपरीत हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे पहले ही उच्चतम न्यायालय के सामने चुनौती दी जा चुकी है।

चुनाव घोषित होने से पहले, यूपीए सरकार ने लोकपाल के चैयरमैन और उसके सदस्यों की हड़बड़ी में नियुक्ति करने का फैसला किया। जल्दबाजी में एक खोज समिति की नियुक्ति की गई। कार्मिक विभाग ने खोज समिति के अधिकार हड़प लिए और लोगों की एक छोटी सूची तैयार कर ली जिसमें से नियुक्तियां की जानी थी। खोज समिति के कुछ नामी सदस्यों सहित सभी लोग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया से नाखुश थे। दो प्रतिष्ठित सदस्यों फली एस. नारीमन और न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस ने इसी कारण से खोज समिति से इस्तीफा दे दिया।

आज पूरे कोरम (निर्दिष्ट संख्या) के साथ कोई खोज समिति नहीं है। खोज समिति गठित होने के बाद, वह उन सभी लोगों के नामों की जांच करेगी जिनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। इसके बाद खोज समिति इसकी पुष्टि करेगी और इसे राष्ट्रपति के पास भेजेगी।

देश में आधे से ज्यादा चुनाव हो चुके हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने और नई सरकार के गठन में 26 दिन बाकी रह गए हैं। क्या यूपीए के लिए यह उचित होगा कि वह अपनी निश्चित रवानगी से पहले लोकपाल की नियुक्ति में हड़बड़ी करे? निश्चित तौर पर नहीं।

अगर यूपीए इस अवस्था में नियुक्तियों के पीछे भागती है तो यह राजनैतिक रुप से निर्लज्जता से भरा कार्य तथा आचार संहिता का उल्लंघन होगा जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर संदेह के घेरे में है। इस तरह की हड़बड़ी लोकपाल के गठन से पहले ही उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर देगी। इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के इस प्रयास को कामयाब होने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह खोज समिति के रिक्त स्थानों को भरने के लिए चयन समिति की बैठक बुलाए।

डा. मनमोहन सिंह अब रिटायरमेंट के अंदाज में हैं, उन्हें गंभीरता से इस बारे में आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि अगर सरकार की निश्चित रवानगी से पहले लोकपाल के गठन के लिए इस तरह की खतरनाक हड़बड़ी की गई तो उन्हें सिर्फ ऐसे प्रधानमंत्री के रुप में याद किया जाएगा जिन्होंने पार्टी नेतृत्व के आदेश पर संस्थानों को नष्ट किया। अगर वे फिर भी हड़बड़ी करना चाहते हैं, तो भारत की समूची लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी मजबूत है कि उन्हें सफल होने की इजाजत नहीं देगी। प्रधानमंत्री के पास बची हुई विश्वसनीयता के अलावा खोने के लिए और कुछ नहीं बचा है।

*****